रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003−05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 6] नई दिल्ली, मार्च 11—मार्च 17, 2012, शनिवार/फाल्गुन 21−फाल्गुन 27, 1933

No. 6] NEW DELHI, MARCH 11—MARCH 17, 2012, SATURDAY/PHALGUNA 21—PHALGUNA 27, 1933

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## भाग II—खण्ड 4
## PART II—Section 4

**रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश**

**Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence**

---

### रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2012

**का.नि.आ. 15.**—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (सेना) के निम्नलिखित कार्यालय को, जिसके 80% से अधिक कर्मचारीवृंद ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

मुख्यालय 9(स्वतंत्र) पर्वतीय ब्रिगेड समूह
पिन-908009, मार्फत 56 ए पी ओ

[सं. 1(1)/2011-रक्षा (रा.भा.-1)]

उपमन्यु चटर्जी, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 5th March, 2012

**S.R.O. 15.**—In pursuance of Sub-Rule (4) of the Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following office of Integrated Headquarters Ministry of Defence (Army) more than 80% staff whereof have acquired working knowledge of Hindi :—

HQ 9(I) mtn Bde Gp
Pin-908009, C/O 56 APO

[No. 1(1)/2011-D(OL-1)]

UPAMANYU CHATTERJEE, Jt. Secy.

**( रक्षा उत्पादन विभाग )**

**( क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय )**

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2012

**का.नि.आ. 16.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय समूह 'ग' और समूह 'घ' अराजपत्रित, अननुसचिवीय (अग्निशमन कर्मचारीवृंद) भर्ती नियम, 2000 को, उन बातों के सिवाए, अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, (रक्षा उत्पादन विभाग), क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय में स्टेशन आफिसर, लीडिंग फायरमैन और फायरमैन, दमकल चालक के समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग), क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (अग्निशमन कर्मचारीवृंद) भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

**अनुसूची**

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. स्टेशन आफिसर (तत्कालीन अग्निशमन पर्यवेक्षक) | 10* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. और ग्रेड वेतन 2800 रु. | अचयन | लागू नहीं होता |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो |
|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा |
|---|---|
| (10) | (11) |
| प्रोन्नति द्वारा | **प्रोन्नति :**<br>ऐसा लीडिंग फायरमैन जिसने वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. धन 2000 रु. ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है ।<br>**टिप्पण 1 :** इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर लीडिंग फायरमैन (तत्कालीन लीडिंग हैंड फायर) का पोषक पद धारण करने वाले व्यक्तियों की दशा में अर्हक सेवा (छह वर्ष) का समान रहना जारी रहेगा ।<br>**टिप्पण 2 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।<br>**टिप्पण 3 :** प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है । |

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|
| (12) | (13) |
| **समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—**<br>संलग्न उपाबंध के अनुसार | लागू नहीं होता । |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. लीडिंग फायरमैन (तत्कालीन लीडिंग हैंड फायर) | 43* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. और ग्रेड वेतन 2000 रु. | अचयन | लागू नहीं होता |

| (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| (10) | (11) |
|---|---|
| प्रोन्नति | **प्रोन्नति :**<br>ऐसा फायरमैन जिसने वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. धन 1900 रु. ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है ।<br>**टिप्पण 1 :** प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है ।<br>**टिप्पण 2 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । |

| (12) | (13) |
|---|---|
| **समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—**<br>संलग्न उपाबंध के अनुसार | लागू नहीं होता । |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. फायरमैन | 137* (2012)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. और ग्रेड वेतन 1900 रु. | लागू नहीं होता | 18 से 27 वर्ष<br>(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए, सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) |

| (6) |
|---|
| **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।<br>**टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है । |

| (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|
| (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण<br>(ii) अग्नि अनुसंधान, रक्षा संस्थान से साधारण अग्निशमन का पाठ्यक्रम या राष्ट्रीय अग्निसेवा महाविद्यालय नागपुर से सब-आफिसर पाठ्यक्रम या मान्यताप्राप्त संस्थान से समकक्ष<br>(iii) शारीरिक रूप से योग्य और श्रम साध्य कर्तव्य करने में समर्थ होना चाहिए । अर्हता का परीक्षण निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा :<br>1. जूता के बिना ऊंचाई – 165 सेंमी.<br>2. छाती (बिना फुलाए) – 81.5 सेंमी.<br>3. छाती (फुलाकर) – 86 सेंमी.<br>4. वजन – 50 किलोग्राम (न्यूनतम)<br>**क्षमता परीक्षण :**<br>(क) फायरमैन द्वारा 63.5 किलोग्राम के व्यक्ति को 96 सेकण्ड के भीतर 183 मीटर की दूरी तक उठाकर ले जाना ।<br>(ख) 2.7 मीटर चौड़ी खाई दोनों पैर पर पार करना (लंबी कूद) ।<br>(ग) हाथ और पैर का प्रयोग करते हुए 3 मीटर उर्ध्वाकार रस्सी पर चढ़ना । | लागू नहीं होता | दो वर्ष |

| (7) |
|---|
| **टिप्पण** – अनुसूचित जनजाति और पहाड़ी इलाकों के अभ्यर्थियों के लिए 2.5 सेंमी. की रियायत दी जाएगी ।<br>(iv) प्राथमिक उपचार अग्निशमन उपकरण और टैलर फायर पंप के उपयोग और उसके अनुरक्षण से सुपरिचित अवश्य होना चाहिए ।<br>(v) विभिन्न प्रकार से लगी अग्नि के शमन में प्रयोग की जाने वाली अग्निशमन पद्धतियों के प्रांरभिक सिद्धांतों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए ।<br>(vi) खाद्य और उपकरणों संबंधी कठोर अनुशासन का जानकार होना चाहिए और कर्मीदल के सदस्य आबंटित कार्य को पूरा करने योग्य हो ।<br>**टिप्पण 1 :** अर्हताएं, लिखित में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों के लिए, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।<br>**टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), लिखित में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों के लिए, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है । |

| (10) | (11) |
|---|---|
| सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं होता |

| (12) | (13) |
|---|---|
| **समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति ( पुष्टि पर विचार के लिए ) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—**<br>(i) स्थापना का प्रधान —अध्यक्ष<br>(ii) संबद्ध स्थापना का एक समूह 'क' अधिकारी —सदस्य<br>(iii) स्टेशन या नजदीकी स्टेशन में अवस्थित अन्य महानिदेशालय, क्वालिटी आश्वासन स्थापना से एक समूह 'क' अधिकारी —सदस्य | लागू नहीं होता । |

**उपबंध**

**अर्मामेंट प्रभाग**

**I. क्वालिटी आश्वासन निदेशालय ( आयुद्ध ), किरकी, पुणे :**

1. अपर नियंत्रक या संयुक्त नियंत्रक, क्वालिटी आश्वासन निदेशालय (आयुद्ध), किरकी, पुणे —अध्यक्ष
2. समूह 'क' अधिकारी, क्वालिटी आश्वासन निदेशालय (आयुद्ध), किरकी, पुणे —सदस्य
3. समूह 'क' अधिकारी, केन्द्रीय प्रूफ स्थापना, इटारसी —सदस्य
4. समूह 'क' अधिकारी, प्रशासन निदेशालय, मुख्यालय, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय —सदस्य

**वाहन प्रभाग**

**II. क्वालिटी आश्वासन निदेशालय (वाहन), अहमदनगर :**

1. संयुक्त नियंत्रक, क्वालिटी आश्वासन निदेशालय (वाहन), अहमदनगर —अध्यक्ष
2. समूह 'क' अधिकारी, क्वालिटी आश्वासन निदेशालय (वाहन), अहमदनगर —सदस्य
3. समूह 'क' अधिकारी, क्वालिटी आश्वासन निदेशालय (विशेष वाहन), देहु रोड, पुणे —सदस्य
4. समूह 'क' अधिकारी, प्रशासन निदेशालय, मुख्यालय, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय —सदस्य

**भंडार प्रभाग**

**III. क्वालिटी आश्वासन निदेशालय (सामान्य भंडार), कानपुर :**

1. अपर नियंत्रक या संयुक्त नियंत्रक, क्वालिटी आश्वासन निदेशालय (सामान्य भंडार), कानपुर —अध्यक्ष
2. समूह 'क' अधिकारी, क्वालिटी आश्वासन निदेशालय (सामान्य भंडार), कानपुर —सदस्य
3. समूह 'क' अधिकारी, क्वालिटी आश्वासन निदेशालय —सदस्य
4. समूह 'क' अधिकारी, प्रशासन निदेशालय, मुख्यालय, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय —सदस्य

**इलैक्ट्रानिक प्रभाग**

**IV. क्वालिटी आश्वासन निदेशालय (इलैक्ट्रानिक्स), बंगलौर :**

1. संयुक्त नियंत्रक, क्वालिटी आश्वासन निदेशालय (इलैक्ट्रानिक्स), बंगलौर —अध्यक्ष
2. समूह 'क' अधिकारी, क्वालिटी आश्वासन निदेशालय (इलैक्ट्रानिक्स), बंगलौर —सदस्य
3. समूह 'क' अधिकारी, क्वालिटी आश्वासन निदेशालय (रडार), बंगलौर —सदस्य
4. समूह 'क' अधिकारी, प्रशासन निदेशालय, मुख्यालय, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय —सदस्य

[फा. सं. ए/86320/आरआर/एफएफएस/डीजीक्यूए/प्रशासन-10/322/डी(क्यूए)/2012]

सुभाष चंद, अवर सचिव

**(Department of Defence Production)**

(DIRECTORATE GENERAL OF QUALITY ASSURANCE)

New Delhi, the 27th February, 2012

**S.R.O. 16.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Department of Defence Production and Supplies, Director General Quality Assurance, Group 'C' and 'D' Non-Gazetted, Non-Ministerial (Fire Fighting Staff) Recruitment Rules, 2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' posts of Station Officer, Leading Fireman and Fireman in the Ministry of Defence (Department of Defence Production), Directorate General of Quality Assurance, namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence (Department of Defence Production), Directorate General of Quality Assurance, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial Posts (Fire Fighting Staff) Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of said posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed hereto.

**3. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**4. Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

**5. Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of post | Number of post | Classification | Pay Band and Grade Pay or Pay Scale | Whether selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Station Officer (Erstwhile Supervisor Fire) | 10* (2012) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial | Pay Band-1, Rs.5200—20200 with Grade Pay of Rs. 2800 | Non-selection | Not applicable |

| Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any |
|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) |
| Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| **Method of recruitment :** Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made |
|---|---|
| (10) | (11) |
| By promotion | **Promotion :**<br>From Leading Fireman in Pay Band-1, Rs. 5200—20200 with Grade Pay of Rs. 2000 with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.<br>**Note 1 :** The eligibility or qualifying service shall continue to be the same (six years) for persons holding the feeder posts of Leading Fireman (erstwhile Leading Hand Fire) on regular basis on the date of notification of these rules.<br>**Note 2 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. |

| | (11) |
|---|---|
| | **Note 3 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. |

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment |
|---|---|
| (12) | (13) |
| **Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :—** As per Annexure attached. | Not applicable. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Leading Fireman (Erstwhile Leading Hand Fire) | 43* (2012) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial | Pay Band-1, Rs.5200—20200 with Grade Pay of Rs. 2000 | Non-selection | Not applicable |

| (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|
| Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| (10) | (11) |
|---|---|
| By promotion | **Promotion :** From Fireman in the Pay Band-1, Rs. 5200—20200 plus Grade Pay of Rs. 1900 with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.<br>**Note 1 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.<br>**Note 2 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. |

| (12) | (13) |
|---|---|
| **Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :—**<br>As per Annexure attached. | Not applicable. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Fireman | 137* (2012)<br>*Subject to variation dependent on workload. | General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial | Pay Band-1, Rs. 5200—20200 plus Grade Pay of Rs. 1900 | Not applicable | Between 18 to 27 years (Relaxable for departmental candidates up to the age of forty years in case of general candidates and forty five years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).<br>**Note 1 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).<br>**Note 2 :** In respect of the posts for which appointments are made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall in each case, be the last date up to which the Employment Exchanges are asked to submit the names. |

| (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|
| (i) Matriculation (10th Class pass) from any recognized Board.<br>(ii) General fire fighting course from Defence Institute of Fire Research, New Delhi or the Sub-Officer course from National Fire Service College, Nagpur or its equivalent from a recognized Institute. | Not applicable | Two years |

(7)

(iii) Must be physically fit and capable of performing strenuous duties. this requirement shall be tested as under :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Height without shoes | = | 165 Cms. |
| 2. | Chest (unexpanded) | = | 81.5 Cms. |
| 3. | Chest (on expansion) | = | 86 Cms. |
| 4. | Weight (minimum) | = | 50 Kg. |

**Endurance Test :**

(a) Carrying a man (Fireman lift of 63.5 Kg. to a distance of 183 meters within 95 seconds).

(b) Clearing 2.7 meters wide ditch landing on both feet (long jump).

(c) Climbing 3 meters vertical rope using hand and feet.

**Note :** A concession of 2.5 Cms. in height or chest may be allowed to members of the Scheduled Castes/ Tribes and men from hilly areas.

(iv) Must be familiar with the use and maintenance of first-aid, fire fighting appliances and Trailer Fire Pump.

(v) Must know the elementary principles of fire fighting methods employed in fighting of different types of fire.

(vi) Must be conversant with food and appliance drills and be able to perform the task allotted to the member of a crew.

**Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

**Note 2 :** The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

| (10) | (11) |
|---|---|
| By direct recruitment | Not applicable |

| (12) | (13) |
|---|---|
| **Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :—**<br>1. Head of Establishment —Chairman<br>2. A Group 'A' Officer of the concerned Establishment —Member<br>3. A Group 'A' Officer from other Directorate General of Quality Assurance Establishment located in the station or nearby station —Member | Not applicable. |

**ANNEXURE**

**Armaments Division**

**I. Controllerate of Quality Assurance (Ammunition), Kirkee, Pune :—**

1. Additional Controller or Joint Controller, Controllerate of Quality Assurance (Ammunition), Kirkee, Pune —Chaiman
2. A Group 'A' Officer of Controllerate of Quality Assurance (Ammunition), Kirkee, Pune —Member
3. A Group 'A' Officer from Central Proof Establishment, Itarsi —Member
4. A Group 'A' Officer from Administration Directorate, Headquarters, Directorate General of Quality Assurance —Member

**Vehicles Division**

**II. Controllerate of Quality Assurance (Vehicles), Ahmednagar :—**

1. Joint Controller, Controllerate of Quality Assurance (Vehicles), Ahmednagar —Chaiman
2. A Group 'A' Officer of Controllerate of Quality Assurance (Vehicles), Ahmednagar —Member
3. A Group 'A' Officer from Controllerate of Quality Assurance (Special Vehicles), Dehu Road, Pune —Member
4. A Group 'A' Officer from Administration Directorate, Headquarters, Directorate General of Quality Assurance —Member

**Stores Division**

**III. Controllerate of Quality Assurance (General Stores), Kanpur :—**

1. Additional Controller or Joint Controller, Controllerate of Quality Assurance (General Stores), Kanpur —Chaiman
2. A Group 'A' Officer of Controllerate of Quality Assurance (General Stores), Kanpur —Member
3. A Group 'A' Officer from Administration Directorate, Headquarters, Directorate General of Quality Assurance —Member
4. A Group 'A' Officer from Administration Directorate, Headquarters, Directorate General of Quality Assurance —Member

**Electronics Division**

**IV. Controllerate of Quality Assurance (Electronics), Bangalore :—**

1. Joint Controller, Controllerate of Quality Assurance (Electronics), Bangalore —Chaiman
2. A Group 'A' Officer of Controllerate of Quality Assurance (Electronics), Bangalore —Member
3. A Group 'A' Officer from Controllerate of Quality Assurance (Radars), Bangalore —Member
4. A Group 'A' Officer from Administration Directorate, Headquarters, Directorate General of Quality Assurance —Member

[F. No. A/86320/RR/FFS/DGQA/Adm-10/322/D(QA)/2012]

SUBHASH CHAND, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.